



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257103
CG-DL-E-12092024-257103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3557]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2024/ भाद्र 20, 1946

No. 3557]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/ BHADRA 20, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

का.आ. 3890(अ).— विधवंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का संख्यांक 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतदूवारा, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थातः-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ – (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2024 माना जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अनुसूची VI का संशोधन- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में –
(क) क्रम संख्या 83 के समक्ष, कॉलम 2 (i), और 3 (i) की प्रविष्टियों से संबंधित, साइट्रस किस्में (नींबू, मौसमी, संतरा, अंगूर, मंदारिन, आदि और अन्य रूटेशियस) और उपभोग के लिए ताजे फल”, और कॉलम (4) (i) ऑस्ट्रेलिया में प्रविष्टि के समक्ष, कॉलम (6) में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(4)	(5)	(6)
(i) आस्ट्रेलिया	<p>निम्न से मुक्तः</p> <p>(1) एस्पिडियोटस नेरी (ऑक्यूबा स्केल)</p> <p>(2) बैक्ट्रोसेरा एंड्रिलोनीस</p> <p>(3) बैक्ट्रोसेरा जार्विसी</p> <p>(4) बैक्ट्रोसेरा नियोहव्यूमरलिस</p> <p>(5) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(6) सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(7) एपिफियास पोस्टविटाना (लाइट ब्राउन एप्पल मॉथ)</p> <p>(8) गुइग्रार्डिया सिट्रिकार्पा (साइट्रस ब्लैक स्पॉट)</p> <p>(9) स्यूडोकोक्स कैल्सियोलारिया (स्कार्लेट मीलीबग)</p> <p>(10) यूनास्पिस सिट्री (साइट्रस स्लो स्केल)</p>	<p>क. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसर एंड्रिलोनीस, बैक्ट्रोसर नियोहव्यूमरलिस, बैक्ट्रोसर ट्रायोनी (क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई) और सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई) के लिए पेस्ट-फ्री एरिया स्टेट्स</p> <p>या</p> <p>ख. क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई और मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए 21°C या एनएपी से ऊपर या इसके समतुल्य तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन</p> <p>या</p> <p>ग. मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 20 दिनों के लिए और क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 16 दिनों के लिए 3°C या उससे कम तापमान पर प्री-शिपमेंट या ट्रांजिट कोल्ड ट्रीटमेंट।</p>

ख. क्रम संख्या 431 के समक्ष, कॉलम (2) (ii) बैक्सीनियम एसपीपी (ब्लू बेरी और क्रैनबेरी), कॉलम (3) (iv) उपभोग के लिए ताजे फल और कॉलम (4) (iv) ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, कॉलम (5) और (6) में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(4)	(5)	(6)
(iv) आस्ट्रेलिया	<p>निम्न से मुक्तः</p> <p>1) एस्पिडियोटस नेरी (ऑक्यूबा स्केल)</p> <p>2) बैक्ट्रोसेरा ट्राइओनी (क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई)</p> <p>3) गुइग्रार्डिया बैक्सीनी (बेरी स्पेकल)</p> <p>4) स्यूडोमोनास विरिडीफ्लावा (टमाटर की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट (यूएसए))</p> <p>5) सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई)</p>	<p>i. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई) और सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई) के लिए पेस्ट-फ्री एरिया स्टेट्स;</p> <p>या</p> <p>ii. क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई और मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए 21°C या एनएपी के नीचे तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन; या 15°C या एनएपी के ऊपर 3½ घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन; या इसके समतुल्य;</p> <p>या</p> <p>iii. क्विंसलैंड फ्रूट फ्लाई के लिए 13 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए 0°C या उससे कम तापमान; 14 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए 0.55°C या उससे कम; 18 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए 1.1°C या उससे कम और मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए 10 दिन या उससे अधिक के लिए</p>

		0°C या उससे कम; 11 दिन या उससे अधिक के लिए 0.55°C या उससे कम; 12 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए 1.1°C या उससे कम तापमान पर पर प्री-शिपमेंट या ट्रांजिट कोल्ड ट्रीटमेंट उपचार किया जाना चाहिए। उपचार को मूल/पुनःनिर्यात के देश में जारी फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।
--	--	---

ग. क्रम संख्या 293 के समक्ष, कॉलम (2) (i) स्टोन फ्रूट्स (वेर, आडू, चेरी, खुबानी, बादाम, नेक्टरीन) (प्रूनस एसपीपी), कॉलम (3) (iii) उपभोग के लिए ताजे फल और कॉलम (4) (ii) ऑस्ट्रेलिया में प्रविष्टियों से संबंधित, कॉलम (5) और (6) में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(4)	(5)	(6)
(ii) आस्ट्रेलिया	निम्न से मुक्तः 1) ओरिएंटल फ्रूट मोथ (साइडिया मोलेस्टा) 2) जिप्सी मोथ (लिमांट्रिया डिस्पर) 3) मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई (सेराटाइटिस कैपिटाटा) 4) मंचुरियन फ्रूट मोथ (साइडिया इनोपिनाटा) 5) चेरी फ्रूट वर्म (साइडिया पैकार्डी) 6) प्लम मोथ (साइडिया प्रुनिवोरा) 7) पीच फ्रूट मोथ (कार्पोसिना निपोनेनोसिस) 8) क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाई (बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी)	(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाई) और सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई) के लिए पेस्ट-फ्री स्टेटस। या (ii) क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाई और मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए 21°C या एनएपी के ऊपर या समतुल्य तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन या (iii) मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए इन-ट्रांजिट रेफ्रिजरेशन के साथ-साथ 10 दिनों के लिए 0°C या उससे कम; 11 दिनों के लिए 0.55°C या उससे कम; 12 दिनों के लिए 1.1°C या उससे कम तापमान पर एवं क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाई के लिए इन-ट्रांजिट रेफ्रिजरेशन के साथ-साथ 13 दिनों के लिए 0°C या उससे कम तापमान; 14 दिनों के लिए 0.55°C या उससे कम; 18 दिनों के लिए 1.1°C या उससे कम तापमान पर प्री-शिपमेंट/इन-ट्रांजिट कोल्ड ट्रीटमेंट।

[फा. सं. 18-26/2017-पीपी- II]

मुक्तानन्द अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: वनस्पति संग्रह (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (अ.) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (अ.), दिनांक 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (अ.), दिनांक 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (अ.), दिनांक 25 फरवरी,

2005 के का.आ. 263 (अ.), दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ.), दिनांक 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ.), दिनांक 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ.), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (अ.), दिनांक 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ.), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ.), दिनांक 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (अ.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (अ.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ.), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (अ.), दिनांक 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ.), दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (अ.), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (अ.), दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (अ.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ.), दिनांक 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (अ.), दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (अ.), दिनांक 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (अ.), दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (अ.), दिनांक 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (अ.), दिनांक 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (अ.), दिनांक 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (अ.), दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (अ.), दिनांक 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (अ.), दिनांक 27 जून, 2014 के का.आ. 1632 (अ.), दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320 (अ.), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542 (अ.), दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879 (अ.), दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114 (अ.), दिनांक 26 मई, 2015 के का.आ. 1413 (अ.), दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496 (अ.), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101 (अ.), दिनांक 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608 (अ.), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192 (अ.) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248 (अ.), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ.), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ.) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ.), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364 (अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344 (अ.), दिनांक 8 मई 2017 के का.आ. 1475 (अ.), दिनांक 21 जून 2017 के का.आ. 2019 (अ.) और दिनांक 6 जुलाई 2017 के का.आ. 2152(अ.), दिनांक 23 अगस्त 2017 के का.आ. 2752(अ.) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ.) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ.सं. 4082 (अ.), दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ.), दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930, दिनांक 24 मई, 2018 के का.आ. 2059 (अ.), दिनांक 4 जून, 2018 के का.आ. 2286 (अ.) और दिनांक 29 जून, 2018 के का.आ. 3194 (अ.), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.आ. 3392 (अ.) और दिनांक 16 अगस्त, 2018 के का.आ. 3998 (अ.), दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5158 (अ.), दिनांक 22 नवंबर, 2018 के का.आ. 5830 (अ.) और दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का.आ. 6224 (अ.), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का.आ. 941 (अ.) दिनांक 6 मई, 2019 के का.आ. 1728 (अ.), दिनांक 24 मई, 2019 के का.आ. 1817 (अ.), दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954 (अ.), दिनांक 15 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2525 (अ.), दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2603 (अ.), दिनांक 29 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3141 (अ.), दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3594 (अ.), दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3845 (अ.) और दिनांक 8 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4083 (अ.), दिनांक 21 दिसंबर, 2019 के का.आ. सं. 4615 (अ.) और दिनांक 24 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 352 (अ.), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 488 (अ.), दिनांक 2 मार्च, 2020 के का.आ. सं. 953(अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के का.आ. सं. 1404(अ.), दिनांक 20 जुलाई, 2020 के का.आ. सं. 2390(अ.) और दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के का.आ. सं. 3646(अ.) और दिनांक 17 नवंबर 2020 के का.आ. सं. 4243(अ.) और 10 फरवरी, 2021 के का.आ. सं. 681(अ.), दिनांक 07.04.2021 के का.आ.सं.1491 (अ.), दिनांक 10 जून, 2021 के का.आ. सं. 2511(अ.), दिनांक 10 जून, 2021 के का.आ. सं. 2512(अ.) और दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के का.आ. सं. 4265(अ.) दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के का.आ. सं. 1885(अ.), दिनांक 26 जुलाई, 2022 के का.आ. 3456 (अ.) दिनांक 03 अगस्त, 2022 के का.आ. सं. 3777(अ.), दिनांक 26 सितंबर 2022 के का.आ. सं. 4551 (अ.), दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 के का.आ. सं. 5401(अ.), दिनांक 30 नवंबर, 2022 के का.आ. सं. 5573(अ.), दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के का.आ. सं. 1801 (अ.), और दिनांक 10 मई, 2023 के का.आ. सं. 2153 (अ.), दिनांक 31 मई, 2023 के का.आ. सं. 2360 (अ.) दिनांक 12 जून, 2023 के का.आ. सं. 2680 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 2023 के का.आ. सं. 3246, दिनांक 16 अगस्त 2023 के का.आ. सं. 3682 (अ.), दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के का.आ. सं. 3945 (अ.), दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के का.आ. सं. 4082 (अ.), दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के का.आ. सं. 4228 (अ.), दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के का.आ. सं. 4366 (अ.), दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के का.आ. सं. 4552 (अ.), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के का.आ. सं. 4640 (अ.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के का.आ. सं. 4739 (अ.), दिनांक 1 नवम्बर 2023 के का.आ. सं. 4764 (अ.) दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के का.आ. सं. 5389 (अ.) दिनांक 08 जनवरी 2024 के का.आ. सं.94(अ.), दिनांक 30 जनवरी, 2024 के का.आ. सं.400 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024

के का. आ. सं.1591 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1593 (अ.), दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के का. आ. सं.1601 (अ.), दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के का. आ. सं.1602 (अ.) एवं दिनांक 5 जून, 2024 के का. आ. सं. 2195 (अ.) दिनांक 7 जून 2024 के का. आ. सं. 2221 (अ.), 19 जून 2024 के का. आ. सं. 2477 (अ.), 22 जुलाई 2024 के का. आ. सं. 2914 (अ.), 24 जुलाई 2024 के का. आ. सं. 2986(अ.) और 22 अगस्त 2024 के का. आ. सं. 3551(अ.) माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2024

S.O. 3890(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Thirteenth Amendment) Order, 2024.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 –

A. Against serial number 83, relating to entries in column 2(i), & 3 (i), *Citrus spp.* (Lemon, lime, orange, grapefruit, mandarins, etc. and other Rutaceous) and Fresh fruits for consumption”, and against the entry in column (4) (i) Australia, the existing entries in columns (6) will be replaced with the following entries, namely:-

(4)	(5)	(6)
(i) Australia	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Bactrocera aquilonis</i> (c) <i>Bactrocera jarvisi</i> (d) <i>Bactrocera neohumeralis</i> (e) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) (f) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (g) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (h) <i>Guignardia citricarpa</i> (citrus black spot) (i) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (j) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	a.Pest-free area status for <i>Bactrocera aquilonis</i> , <i>B.neohumeralis</i> , <i>B. tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards Or b. Methyl bromide fumigation @ 32 g/m ³ for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Queensland fruit fly and Mediterranean fruit fly Or c. Pre-shipment or in transit cold treatment at 3°C or below for 20 days against Mediterranean fruit fly and for 16 days against Queensland fruit fly.

B. Against serial Number 431, relating to entries in column (2)(ii) *Vaccinium spp.* (Blue berry and Cranberry), column (3) (iv) Fresh fruit for consumption and column (4) (iv) Australia, the existing entries in columns (5) & (6) will be replaced with the following entries:

(4)	(5)	(6)
(iv) Australia	Free from: a) <i>Aspidiotus nerii</i> (Aucuba scale)	i. Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards;

b) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) c) <i>Guignardia vaccinii</i> (Berry speckle) d) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA)) e) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)	or ii. Methyl bromide fumigation @ 32 g/ m ³ for 2 hrs at 21°C or above under NAP; or Methyl bromide fumigation @ 32 g/ m ³ for 3½ hrs at 15°C or above under NAP; or equivalent thereof against Queensland fruit fly and Mediterranean fruit fly; or iii. Pre shipment or in-transit cold treatment at 0°C or below for 13 days or greater; 0.55°C or below for 14 days or greater; 1.1°C or below for 18 days or greater against Queensland fruit fly and 0°C or below for 10 days or greater; 0.55°C or below for 11 days or greater; 1.1°C or below for 12 days or greater against Mediterranean fruit fly. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of Origin/ re-export.
--	---

C. Against serial number 293 relating to entries in column (2)(i) Stone fruits (plum, peach, cherry, apricot, almond, nectrine) (*Prunus spp.*), column (3) (iii) Fresh fruits for consumption and column (4) (ii) Australia, the existing entries in columns (5) & (6) will be replaced with the following entries:

(4)	(5)	(6)
(ii) Australia	Free from: a) Oriental fruit moth (<i>Cydia molesta</i>) b) Gypsy moth (<i>Lymantria dispar</i>) c) Mediterranean fruit fly (<i>Ceratitis capitata</i>) d) Manchurian fruit moth (<i>Cydia inopinata</i>) e) Cherry fruit worm (<i>Cydia packardi</i>) f) Plum moth (<i>Cydia prunivora</i>) g) Peach fruit moth (<i>Carposina niponensis</i>) h) Queensland fruit fly (<i>Bactrocera tryoni</i>)	(i) Pest free status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards. or (ii) Methyl bromide fumigation 32 g/m ³ for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Queensland fruit fly and Mediterranean fruit fly or (iii) Pre-shipment / in-transit cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in transit refrigeration against Queensland fruit fly.

[F.No. 18-26/2017-PP.II]
MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th

October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014,S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No.2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No.264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated 8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017 and S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017, S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017, S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018, S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018, S.O. No.1930 dated 15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018, S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018, S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018, S.O. No. 5158(E) dated 3rd October, 2018 and S.O. No. 5830(E) dated 22ndNovember, 2018 and S.O. No. 6224(E) dated 18th December, 2018, S.O. No.941(E) dated 19th February, 2019 and S.O. No. 1728(E) dated 6th May, 2019, S.O. No. 1817(E) dated 24th May, 2019 ,S.O. No.1954(E) dated 11.06.2019, S.O. No. 2525(E) dated 15th July, 2019 and S.O. No.2603 (E) dated 18th July, 2019 and S.O. No. 3141(E) dated 29th August, 2019; S.O. No. 3594(E) dated 1st October, 2019 and S.O. No.3845(E) dated 24th October,2019 and S.O. No. 4083(E) dated 8th November, 2019 and S.O. 4615 (E) dated 21st December, 2019 and S.O. 352 (E) dated 24th January, 2020 81. S.O. 488 (E) dated 31st January, 2020 82. S.O. 953 (E) dated 2nd March, 20202020 and S.O. No. 1404(E) dated 27th April, 2020, S.O. No.2390(E) dated 20th July, 2020; S.O. No.3646(E) dated 14th October, 2020 and S.O. No.4243(E) dated 17th November, 2020and S.O. No.681(E) dated 10th February, 2021, , S.O.No.1491(E) dated 7th April, 2021, S.O. No.2511(E) dated 10th June, 2021, S.O. No.2512(E) dated 10th June, 2021and S.O. No.4265(E) dated 13th October, 2021, S.O.No.1885(E) dated 5th April, 2022, S.O. No 3456 (E) dated 26th July, 2022, S.O. No. 3777 (E) dated 3rd August, 2022, S.O. No. 4551 (E) dated 26th September, 2022, S.O. No. 4871 (E) dated 13th October, 2022, S.O. No. 5167 (E) dated 28th October, 2022. S.O. No. 5401 (E) dated 21st November, 2022 and S.O. No. 5573 (E) dated 30th November, 2022, S.O.No.1801 (E) dated 21st April, 2023 and S.O.No.2153 (E) dated 10th May, 2023,S.O.No.2360 (E) dated 31st May, 2023, S.O 2680 (E) dated 12th June, 2023, S.O. No. 3246 (E) dated 20th July, 2023, S.O. No. 3682 (E) dated 16th August, 2023, S.O. No. 3945 (E) dated 04th September, 2023, S.O. No. 4082 (E) dated 14th September, 2023, S.O. No. 4228 (E) dated 25th September, 2023, S.O. No. 4366 (E) dated 06th October, 2023, S.O. No. 4552 (E) dated 11th October, 2023, S.O. No. 4640 (E) dated 19th October, 2023, S.O. 4739 (E) dated 27th October, 2023, S.O. No. 4764 (E) dated 01st November, 2023, S.O. No. 5389 (E) dated 19 December, 2023, S.O. 94(E) dated 08th January, 2024, S.O. 400(E) 30th January, 2024, S.O. 1591(E) 28th March, 2024, S.O. 1593(E) 28th March, 2024, S.O. 1601(E) 02nd April, 2024, S.O. 1602(E) 02nd April, 2024, S.O. 2195(E) dated 05th June, 2024, S.O. 2221(E) dated 07th June, 2024, S.O. 2477(E) dated 19th June, 2024, S.O. 2914(E) dated 22nd July, 2024, S.O. 2986(E) dated 24th July, 2024 and S.O. 3551(E) dated 22nd August, 2024.